



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिणियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2015

भाद्रपद 0, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-13

संख्या 600/1-13-2015-7क(1B)-2014

लखनऊ, 31 अगस्त, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

पृष्ठ-574

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 10 की उपधारा (4) के अन्वीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त उपधारा के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित जिला के शुद्ध बूझाई क्षेत्रफल में सामता परियोजनाओं के लिए 5 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करते हैं।

आज्ञा से,  
सुरेश चन्द्रा,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 600/I-13 2015-7ka(18)-2014, dated August 31, 2015:

No. 600/I-13-2015-7ka(18)-2014

*Dated Lucknow, December 31, 2015*

IN exercise of the powers under sub-section (4) of section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013), the Governor is pleased to notify the limits as 5 per cent of for all the projects in the net sown area of concern district of the State of Uttar Pradesh for the purposes of the said sub-section.

By order,  
SURESH CHANDRA,  
*Pramukh Sachiv.*